

क्रमांक: मेडि.कॉले./संस्था./ (SR/JR)/2021/105

कार्यालय आदेश

दिनांक 09/01/2021

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक: GMC/Estt./ (SR/JR)/2020/3058 दिनांक 19.12.2020 के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं दिनांक 23.12.2020 से 24.12.2020 तक चल साक्षात्कार (Walk-in-interview) का आयोजन किया गया। तदुपरांत इस कार्यालय के नियुक्ति आदेश क्रमांक मेडि.कॉले./संस्था./ (SR/JR)/2020/3125 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में, प्रतीक्षा सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं विभाग में तथा नीचे वर्णित शर्तों पर छह: (06) माह या अग्रिम आदेश तक एतद् द्वारा चयन किया जाता है:-

Selected Candidates list :-

S. No.	Name of Candidate	Post	Department
1	Dr. Ravi Singhal	Junior Resident	General Surgery
2	Dr. Balvir Singh	Junior Resident	Paediatrics
3	Dr. Yogendra Kumar	Junior Resident	TB & Chest
4	Dr. Dharmendra Kumar Meena	Junior Resident	Ophthalmology

रेजीडेंट के कर्तव्य एवं शर्तें :-

- अभ्यर्थी को दस कार्यदिवस में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त माना जावेगा।
- जूनियर रेजीडेंट के पद पर कार्य पूर्ण कालीन रेजिडेंट के रूप में करना होगा। किसी भी तरह की निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी, ऐसा पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित छायाप्रति), अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी दो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
- जूनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार कोविड वार्ड, आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
- एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
- कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रपत्र में शपथ पत्र (Affidavit on Stamp Paper of Minimum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि-
 - यह कि मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
 - यह कि मेरी कदाचार के कारण पूर्व में सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
 - यह कि मेरे द्वारा पूर्व में की गई Junior Residency की अवधि द्वाइ (2½) वर्ष से अधिक नहीं है।
 - मैं कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड वार्ड में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से करूंगा/करूंगी एवं कार्य संपादन करने में कभी भी आपत्ति नहीं जताऊंगा/जताऊंगी।
 - यह कि मैंने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान दिनांक 01.08.2020 को या उसके बाद एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
 - यह कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर के नियुक्ति आदेश दिनांक 09.01.2021 के तहत मेरी यू.टी. बी. आधार सेवा 06 माह के लिए है। 06 माह बाद मिलने वाली पुनर्नियुक्ति को मांगने के लिये मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के आधार पर मुझे पुनर्नियुक्ति नहीं मिलने पर मैं किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच में नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे।
 - यह कि मेरे बिना किसी भी पूर्व सूचना के लगातार 10 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवायें समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर का होगा।
 - यह कि नियुक्ति/निलंबन/ पुनर्नियुक्ति के संपूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर को होंगे। नियुक्ति निरस्त हो जाने के पश्चात् मैं किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के



Government Of Rajasthan
Office of The Principal & Controller
Govt. Medical College & Attached Hospital, Bharatpur (Raj.)
EMAIL- principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in



- समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता / करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे और इस शपथ पत्र की सत्यता निरस्त होने पर मुझे पूर्णतया दोषी माना जायेगा।
7. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थायी/अस्थायी तौर पर अन्य विशिष्टता/समान विशिष्टता में कार्यरत हैं, उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्टता से कार्यमुक्त होना होगा।
 8. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी पर राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स 2017 लागू होंगे।
 9. कर्तव्य- अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यो का निर्वहन करना होगा। दैनिक कार्यावधि भी अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार रहेगी। कर्तव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। हडताल आदि सम्मिलित होने या अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
 10. कार्यग्रहण के लिए अभ्यर्थी को टीए/डीए देय नहीं होगा।
 11. अभ्यर्थी को राजमैस के नियमों के अंतर्गत समेकित वेतन देय होगा।
 12. कार्यरत कर्मचारी न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से पूर्व एक माह के वेतन की कटौती कर ली जावेगी।
 13. अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय ही पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

डॉ. (कर्मल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर
दिनांक: 09/01/2021

क्रमांक: मेडि.कॉले./संस्था./(SR/JR)/2021/105

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, राजस्थान जयपुर को विनम्र सूचनार्थ।
- 2- नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को भेजकर लेख है, कि उक्त परिणाम कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यालय प्रति।

डॉ. (कर्मल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर